न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2022 (उदयपुर डिक्री)

मगनलाल पिता लालजी मेघवाल, जाति मेघवाल, निवासी साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त. अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 24.12.2009 प्र.सं. 169/2008

———/———

उपस्थित :– 1– श्री रामलाल मेघवाल अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 10–12–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सकरोदा के आराजी नंबर 210 में से 5 बीघा भूमि दिनांक 27.10.1977 को अपीलान्ट को आवंटित की थी, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 976 सहायक भू–अधिकारी द्वारा खोला जाकर खाता संख्या 677 कायम कर राजस्व अभिलेखों में गैर खातेदारी हक से दर्ज किया, किन्तु अंतिम बन्दोबस्त के समय वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में लिखने से रह गया एवं भूमि पुनः बिनालाम सरकार दर्ज कर दी तथा बाद में बिलानाम काबिल काश्त से हटाकर चारागाह व सामान्य काम हेतु आरक्षित कर ली गयी तथा बाद में साकरोदा से राजस्व ग्राम भागतलाई अलग बना दिया गया। उक्त आराजी नंबर से हाल आराजी नंबर 531 रकबा 1.1700 हैक्टर बने, जिसमें से 1.0805 हैक्टर भूमि वादी अपने नाम खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है अतः वादी को आराजी नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:26 IST
Reason: SelfAttested

531 रकबा 1.1700 हैक्टर में से 1.0805 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि आवंटन के बाद काश्त नहीं करने से आवंटन शर्तो का उल्लंघन होने से आवंटन खारिज हुआ है। वादग्रस्त भूमि चारागाह होने से खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 6 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 24—12—2009 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील दिनांक 28—12—2021 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी/अपीलान्ट बुजुर्ग होकर कम पढ़ी लिखा एवं गरीब व अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से कानून का ज्ञान नहीं है। अभी वर्तमान में प्रशासन गांव के संग अभियान में दिनांक 30.11.2021 को आने पर प्रार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपील करीब 12 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। इतने वर्षो विलम्ब का कोई ठोस एवं उचित कारण अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नहीं बताया गया है। अतः अपील बेरून मयान होने से खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 24—12—[illegible] की अपील की समयावधि 60

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:26 IST
Reason: SelfAttested

दिवस है। अर्थात दिनांक 23–02–2010 तक उक्त अपील प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जबकि अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 28–12–2021 को प्रस्तुत की गयी है। अर्थात उक्त अपील करीब 11 वर्ष 10 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण अपीलान्ट ने अपने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में दर्शायें हैं वह इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन कराने हेतु न तो कोई उचित कारण प्रतीत होता है, न ही उसे पर्याप्त कारण माना जा सकता है। जबकि देरी से प्रस्तुत अपील में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य उजर यह है कि साबिक आराजी नंबर 210 में से 5 बीघा भूमि उसे दिनांक 27–10–1977 को आवंटित हुई, जिसका नामान्तरकरण भी अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार होकर उसे गैर खातेदारी हक प्रदान किये गये, किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बन्दोबस्त के समय बिलानाम सरकार दर्ज कर दी तथा बाद में चारागाह दर्ज कर दी। अतः साबिक आराजी नंबर 210 से बने हाल आराजी नंबर 531 रकबा 1.1700 हैक्टर में से 1.0805 हैक्टर का खातेदारी घोषित का अधिकारी है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि चारागाह दर्ज होने के आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के कारण अपीलान्ट का आवंटन खारिज किया जाकर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज की गयी है तथा वर्तमान में चारागाह दर्ज है, जिसके खातेदारी अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित आराजी नंबर 531 चारागाह भूमि है, जो जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 के अवलोकन से भी स्पष्ट है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त आराजी नंबर 531 के साबिक आराजी नंबर 210/1 मीन थे। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] तनकी नंबर 1 के विवेचन में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:26 IST
Reason: SelfAttested

यह माना है कि साबिक आराजी नंबर 210/1 मी. से कई आराजी नंबर बने हैं, हाल आराजी नंबर 531 साबिक आराजी नंबर 210/1 मी. से ही बने हो, यह वादी साबित कराने में असफल रहा है तथा वादी द्वारा कब्जे बाबत् भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की है तथा विवादित आराजी वर्तमान राजस्व अभिलेखों के चारागाह दर्ज होने से, चारागाह भूमि की खातेदारी अधिकार दिया जाना नहीं मानते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 24–12–2009 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:26 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

मगनलाल पिता लालजी मेघवाल, निवासी साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर**

अपील नं॰.....**02 / 2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी**... .....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**24**.....माह.....**12**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**10**.....माह.....**12**.....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री रामलाल मेघवाल**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 24–12–2009 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**10**.....माह.....**12**.....**2024** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:26 IST
Reason: SelfAttested